



जेड.२५०२३/०९/२०१८-२०२०-DCC (AYUSH)

भारत सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी (आयुष) मन्त्रालय

दिनांक: ०२ अप्रैल, २०२०

**विषय: एएसयू प्रतिरक्षा वर्धक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और सैनिटाइज़र के विनिर्माण के लिए अनुमोदन / लाइसेंस / लाइसेंस के नवीकरण के प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के संदर्भ में।**

आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए विनियामक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तदन्तर्गत नियम १९४५ में वर्णित है, जिनको राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग अधिकारी / ड्रग कंट्रोलर द्वारा राज्य में लागू करवाया जाता है। COVID 19 के प्रकोप के कारण स्वस्थ लोगों में एएसयू आधारित प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों और हाथ सैनिटाइज़र्स के उपयोग की मांग कई गुना बढ़ गई है। इस संदर्भ में, कुछ दवा निर्माताओं द्वारा, जो इस निर्माण में लगे हैं या निर्माण करना चाहते हैं, उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लाइसेंस अनुमोदन अनुदान / नवीनीकरण अनुदान में आ रही समस्याओं के बारे में केन्द्र सरकार को लिखा है।

जबकि, माननीय प्रधान मंत्री ने 28 मार्च, 2020 को वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से आयुष हितधारकों के साथ अंतरालिया बातचीत के दौरान एएसयू औषधियों के निर्माताओं को सैनिटाइज़र जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिये अपने संसाधनों का उपयोग करने का सुझाव दिया था और COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वस्थ लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पारम्परिक पद्धतियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला था।

तदनुसार, उपर्युक्त वर्णित स्वास्थ्य संबंधी एएसयू उत्पादों की बढ़ी हुई माँग की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, सभी राज्य आयुष लाइसेंसिंग प्राधिकरण / ड्रग कंट्रोलर और उनके अन्तर्गत विशेषज्ञ समितियों को निर्देशित किया जाता है कि लाइसेंसिंग / अनुमोदन / नवीनीकरण प्रक्रिया में तेजी लायी जाय और निर्माताओं के आवेदन प्रक्रिया का निपटान अधिकतम एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाये यदि आवेदन निर्धारित मानकों और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के प्रासंगिक प्रावधान, प्रयुक्त औषधि सामग्री और Excipients का प्रयोग आधिकारिक फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी पुस्तकों के अनुसार पूरा किया गया है। यह भी अपील की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में स्थित निर्माताओं व लाइसेंस प्राप्त / अनुमोदित ऐसे ASU उत्पादों के विवरण की सूची भेज दें।

यह सचिव (आयुष), भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सलाहकार (आयु.) एवं प्रमुख,  
एएसयू और एच ड्रग पालिसी सेक्शन

सेवा में,

ii. सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य / आयुष)।

छायाप्रति :

iii. सभी राज्यों के आयुष राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी / ड्रग कंट्रोलर

iv. सभी ए.एस.यू. औषधि निर्माता